

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
साधारण बीमा निधि
'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।

क्रमांक: एफ / फर्नीचर/साबीयो/आरजीएचएस/2020-21/3705

दिनांक 04-3-2021

-:: निविदा सूचना ::-

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर के उपयोग हेतु वर्क स्टेशन क्रय करने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकृत विभाग से पंजीकृत/रजिस्टर्ड फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सीज से सील बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

क्र०स	विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क(अवापसिय)
1	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर के उपयोग हेतु स्पेशिफिकेशन के अनुसार क्रय करने बाबत।	3.20 लाख रु०	50/- रु० के स्टाम्प पर प्रोफोर्मा पर डिक्लेरेशन	200/-रु०

- सम्बन्धित फर्म /कम्पनी / संस्था/एजेन्सीज को निर्धारित निविदा प्रपत्र दिनांक 10:3:2021 ... सांय 3.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर के कार्यालय में दिनांक: 10:3:21 सांय 2:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा से सम्बन्धित नियम, शर्तें निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर के कक्ष संख्या 207, कैशियर के यहाँ राशि 200/- रु० जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय वेब साइट www.sipf.rajasthan.gov.in अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल (<http://sppp.raj.nic.in>) से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से बैंक ड्राफ्ट अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, 'डी' ब्लॉक, ज्योति नगर, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 12:3:2021 को प्रातः 11.00 बजे उपापन समिति द्वारा खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निदेशक/अति.निदेशक (साबीयो) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि जयपुर को होगा।


अतिरिक्त निदेशक(साबीयो)
राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग,
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिविक्त निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग
साधारण बीमा निधि
'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।

निविदा प्रपत्र

कार्यालय अति० निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु वर्क स्टेशन क्रय करने का निविदा प्रपत्र निविदा प्रपत्र का मूल्य 200/- (रूपये पचास सौ मात्र) बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में 50/-रु. के स्टाम्प(30% सरचार्ज जोड़ कर) कुल 65/-रु. के स्टाम्प पर Bid Security Declaration निविदा फर्म के साथ संलग्न करना होगा।
नोट:-

- (1) इस निविदा प्रपत्र के साथ 'ए' से 'जी' परिशिष्ट संलग्न है।
 - 1 तकनीकी निविदा प्रपत्र - परिशिष्ट 'ई'
 - 2 वित्तीय निविदा प्रपत्र - परिशिष्ट 'एफ'
 - 3 निविदा की शर्तें - परिशिष्ट 'जी'
 - 4 अन्य परिशिष्ट ए से डी।
- (2) निविदाएँ दो पृथक-पृथक लिफाफों में अलग-अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी हैं।
- (3) तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ सील बंद लिफाफे में निम्न प्रपत्र दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है तथा सीलबंद लिफाफे पर "वर्क स्टेशन क्रय करने का निविदा प्रपत्र" अंकित करना होगा।
 - 1 फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजीयन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - 2 बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में 50/-रु. के स्टाम्प(30% सरचार्ज जोड़ कर) कुल 65/-रु. के स्टाम्प पर Bid Security Declaration निविदा फर्म के साथ संलग्न करना होगा।
 - 3 बिड निविदा शुल्क 200/- का बैंकर्स चैक/डी.डी./ रसीद संलग्न करनी होगी।
 - 4 फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।
 - 5 जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।
- (4) जिन फर्मों/ठेकेदारों की तकनीकी निविदाएँ उपयुक्त पाई जायेगी उन्हीं फर्मों के वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएँ खोली जायेगी, अन्य फर्मों को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय निविदा अंकित करते हुए लिफाफे को सीलबंद किया जायेगा।
- (5) "तकनीकी निविदा" और "वित्तीय निविदा" के अलग अलग सीलबंद दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा तथा उक्त बड़े लिफाफे पर " वर्क स्टेशन क्रय करने का निविदा प्रपत्र " अंकित कर निर्धारित तिथि व समय तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं होगा। डाक से प्राप्त निविदाएँ यदि निर्धारित दिनांक व समय पर नहीं पहुँचती हैं तो कार्यालय अति० निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर उत्तरदायी नहीं होगा।
- (6) दिनांक 10.3.2021 को सांय 03:00 बजे तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 12.3.2021 को प्रातः 11.00 बजे निविदाओं के लिफाफों को खोला जावेगा। इस हेतु गठित समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा। सक्षम पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदाएँ खोली जावेगी। वर्क स्टेशन क्रय करने की आपूर्ति की निविदा के फार्म, निविदा शर्तें सहित निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कैशियर कार्यालय

निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर कमरा नम्बर .
...207... में 200/- रूपये नकद भुगतान कर दिनांक 10-3-21 सांय 2:00 बजे तक क्रय किये
जा सकते है।

अतिरिक्त निदेशक सा.बी.यो.
राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग,
राज. जयपर

एस आर 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैंने/हमने जिन राजकीय विभाग / अर्द्धशासकी विभाग/संस्था में वर्क स्टेशन क्रय करने की निविदा दी है, उनका/ मैं/ हम बोनाफाईड/ थोक विक्रेता/ सोल वितरक/ प्राधिकृत डीलर/ सोल सेलिंग/ विपणन एजेण्ट है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत का लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन न० (निवास)
(कार्यालय)



राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिविक्रित निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग
साधारण बीमा निधि
'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।

कार्यालय अतिविक्रित निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि कार्यालय के उपयोग हेतु फर्नीचर क्रय करने का तकनीकी निविदा प्रपत्र

- 1 निविदादाता का नाम व पूर्ण पता :
- 2 निविदा सूचना क्रमांक :
3. निविदा शुल्क रूपयें 200/- :
जमा कराने का विवरण
4. निविदा प्रस्तुत करने की :
अंतिम तिथि एवं समय
5. बिड प्रतिभूति(अमानत) राशि का विवरण:
6. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत/इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर/
:.....
7. जीएसटी पंजीयन क्रमांक :
(नियमानुसार)
8. फर्म का पैन कार्ड नम्बर :

मुझे इस निविदा की संलग्न समस्त शर्तें मंजूर हैं।



निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा


राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिविक्रि निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग
साधारण बीमा निधि
'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।

कार्यालय अतिविक्रि निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभागसाधारण बीमा निधि 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर। जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु वर्क स्टेशन क्रय करने की दरों का वित्तीय निविदा प्रपत्र

वर्क स्टेशन क्रय करने की दरें भरकर निविदादाता हस्ताक्षर करें तथा इस प्रपत्र को अलग लिफाफे में डालकर सील बन्द करें एवं लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "वित्तीय निविदा" अंकित करें। कार्य की दरें अंकों एवं शब्दों में अंकित करें।

क्र.सं.	फर्नीचर का विवरण/स्पेसिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत	समस्त कर एवं खर्च सहित प्रति नग दर
3	<u>Office work station</u> supply and fixing of modular work station with partition 19 mm to 32 mm thickness BWP Board/ply/partical board with laminet of 1 mm mica, one key board in sliding channel, Drawer 1 to 3 with openable door 12 mm designer tuffen glass all superior top quality brass fitting size (0.90 x 0.61 x1.22x 0.90 mtr.) 12 mm high quality pin board with superior quality cloath. The fromt shutters matching with top Surface in quarter round post formed shutters and mounted on steel telescopic channels including necessary hardware godrej make (handle, locks) etc. per unit one pedistal	16	3.20 लाख	

- दरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये ही मान्य होगी।
- वर्क स्टेशन क्रय किया जाना है उसका नमूना/सैम्पल मांगे जाने अपने खर्च पर विभाग को तीन दिवस में उपलब्ध करवाना होगा। विभागीय उपापन समिति द्वारा नमूने के अवलोकन/गुणवता की जाँच पश्चात ही उक्त सामग्री की आपूर्ति के आदेश दिये जायेगे। अगर नमूना स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं होगा तो विभाग द्वारा संबंधित फर्म को उक्त कार्यदेश नहीं दिया जायेगा एवं द्वितीय निविदादाता के सामान की गुणवता पर विचार किया जायेगा।



निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग
साधारण बीमा निधि
'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।

परिशिष्ट 'जी'

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु फर्नीचर क्रय करने की निविदा की शर्तें:-

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(अ) **पात्रता (Eligibility Criteria)** जो अनिवार्य है, के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

1. फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
2. बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में 50/-रु. के स्टाम्प(30% सरचार्ज जोड़ कर) कुल 65/-रु. के स्टाम्प पर Bid Security Declaration निविदा फर्म के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदायें दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा "प्री-क्वालिफाइड बिड/तकनीकी बिड" का होगा तथा दूसरा "वित्तीय बिड" के लिये होगा। निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर कार्यालय में **वर्क स्टेशन क्रय करने** आपूर्ति के लिये पृथक-पृथक बन्द लिफाफों में **वर्क स्टेशन क्रय करने** की वित्तीय निविदा प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. प्रथम लिफाफे (प्री क्वालिफिकेशन बिड/तकनीकी बिड) में निम्न प्रपत्र रखें जावेंगे:-
 - (क) फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - (ख) बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में 50/-रु. के स्टाम्प(30% सरचार्ज जोड़ कर) कुल 65/-रु. के स्टाम्प पर Bid Security Declaration निविदा फर्म के साथ संलग्न करना होगा।
 - (ग) बिड निविदा शुल्क 200/- का बैंकर्स चैक/डी.डी./ रसीद संलग्न करनी होगी।
 - (घ) फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।
 - (ङ.) जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।
5. दूसरे लिफाफे में केवल राज कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर कार्यालय उपयोग हेतु **वर्क स्टेशन क्रय करने** की वित्तीय बिड होगी जिसमें निविदादाता को अपनी दरें अंकों में एवं शब्दों में अंकित करनी होगी।
6. दोनों लिफाफे, तकनीकी बिड का सीलबंद लिफाफा तथा वित्तीय बिड का सीलबंद लिफाफा कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर के नाम होना चाहिए, साथ ही फर्म का नाम दूरभाष/मोबाइल नम्बर भी अंकित होना आवश्यक है।

(ब) सामान्य नियम व शर्तें :-

1. निविदा देनी वाली फर्म को **वर्क स्टेशन** के नमूने मांगे जाने पर देने होंगे।
2. स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राज.लोक उपापन नियम 2013 की सभी शर्तों की पालना करनी होगी तथा **वर्क स्टेशन क्रय करने** करने की मात्रा/नमूने के अनुसार फर्म द्वारा समय पर आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी।



4. समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा बन्द एवं शील्ड लिफाफे में ही भेजी जानी चाहिये।
5. निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।
6. फर्म द्वारा वर्क स्टेशन क्रय करने के संबंध में दिये गये आदेश/नमूने/मापदण्ड के अनुसार वर्क स्टेशन की आपूर्ति नहीं करने पर किसी भी समय अनुबंध/आदेश को भंग किया जा सकता है।
7. विभाग किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रद्द कर सकती है। निविदा द्वारा आमंत्रित की गई मात्रा या वस्तुओं में से प्रशासन के निर्णयानुसार उन सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा के लिए आदेश दिये जा सकते हैं।
8. निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे।
9. सर्वप्रथम तकनीकी बिड का लिफाफा खोला जावेगा, जिसकी उपापन समिति जांच करेगी। जांच के उपरान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड में योग्य पाये जावेगे, उनकी ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
10. सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने के सात दिवस में निविदा के 5 प्रतिशत की कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा 200/- रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी तथा बिड प्रतिभूति (अमानत) राशि जब्त कर दी जावेगी।
11. प्रतिभूति राशि को संतोषजनक सामान की आपूर्ति होने पर निविदादाता के लिखित रूप से आवेदन करने पर लौटाई जावेगी।
12. अनुबंधित फर्म वर्क स्टेशन क्रय का कार्य किसी दूसरी फर्म को सबलेट नहीं करेगा अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो ठेका निरस्त कर राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर का होगा।
14. फर्म द्वारा आदेशानुसार वर्क स्टेशन आपूर्ति करने के पश्चात ही बिल भुगतान किया जायेगा वह बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
15. बिल का भुगतान स्टोर अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट स्टॉक इन्द्राज के आधार पर किया जायेगा।
16. उक्त सामग्री हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक (03.03.2021) सायं 3.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
17. सफल निविदादाता द्वारा बीच में आपूर्ति छोड़ जाती है या कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
18. ठेके की अनुमोदित दर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये मान्य होगी।
19. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे ठेकेदार को मानना होगा।
20. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।
21. परिसमापित नुकसानी:- परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है : (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्तें ही लागू होंगी।)

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2 ^{1/2} %
-----	-----	---	--------------------

(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए	5%
(ग)	आधी अवधि से अवधि किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए	7 1/2 %
(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

22. पैनल्टी की राशि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।

23. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो



अतिरिक्त निदेशक सा.बी.यो.
राज्य बीमा एव प्रा. निधि विभाग,
राज. जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पूरा पता.....

मोबाईल/टेलिफोन नं.....

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :-----

Name :-----

In the capacity of :-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

Corporate Seal -----

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]



$$\frac{12}{18}$$